प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 29.10.2024

थाना बलुआ जनपद चन्दौली

 थाना बलुआ पुलिस द्वारा 01 स्कार्पियो वाहन व 02 पिकअप वाहन में से कुल 18 राशि गोवंश किये गये बरामद

चन्दौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के गहन पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में गोवंशों की तस्करी के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में डा0 आशीष कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक बलुआ के नेतृत्व में दिनांक 28.10.2024 समय 07.00 बजे थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा दो पिकअप वाहन व एक स्कार्पियो वाहन में से कुल 18 राशि गोवंशों की खण्डवारी इण्टर कालेज के पास ग्राम खण्डवारी से सफल बरामदगी की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 28.10.2024 समय 07.00 बजे थाना बलुआ पुलिस द्वारा एक स्कार्पियो न0 UP78BC7582 जिसमे कुल 03 राशि गोवंश, एक टाटा मैजिक बिना नम्बर बरामद जिसमे कुल 07 राशि गोवंश जिसमे 06 राशि जिन्दा व 01 राशि गोवंश मृत तथा एक टाटा पिकअप न0 UP65CT9883 जिसमे बरामद कुल 08 राशि गोवंश। बरामदशुदा तीनो वाहनो मे से कुल 18 राशि गोवंश जिसमे 14 राशि गाय जिन्दा 01 राशि गाय मृत तथा 03 राशि सांड खण्डवारी इण्टर कालेज के पास ग्राम खणडवारी से सफल बरामदगी की गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 - 200/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 व 325 बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण बरामदगी-

1. 01 स्कार्पियो वाहन संख्या UP78BC7582
2. 01 टाटा मैजिक बिना नम्बर
3. 01 टाटा पीकअप न0 UP65CT9883
4. 18 राशि गोवंश (जिसमें 14 राशि गाय जिन्दा, 01 राशि गाय

गिरफ्तारी विवरणः-

स्थानः- खण्डवारी इण्टर कालेज के पास ग्राम खण्डवारी थाना बलुआ जनपद चन्दौली

दिनांकः-28.10.24

समयः-07.00 बजे

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.डा0 आशीष कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक बलुआ जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 अनिल कुमार यादव चौ0प्र0 कैलावर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 जमीलुद्दीन खान थाना बलुआ जनपद चन्दौली

4.उ0नि0 जगदीश प्रसाद थाना बलुआ जनपद चन्दौली

5.हे0का0 मो0 कादिर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

6.हे0का0 पारसनाथ यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली

7.हे0का0 विवेक कुमार सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली

8.का0 चन्दन साह थाना बलुआ जनपद चन्दौली

9.का0 कुलभूषण सरोज थाना बलुआ जनपद चन्दौली

<u>आपरेशन कन्विक्शन</u>

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रामबाबू यादव (स्पे0 जज एससी/एसटी कोर्ट चन्दौली) द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना अलीनगर के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 14.01.2016 को धारा 304(2),323 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राजेन्द्र यादव 2.राकेश कुमार 3.राजनाथ यादव 4.गौरी उर्फ अमरजीत यादव पुत्रगण स्व0 सरयू यादव निवासीगण परशुरामपुर थाना अलीनगर चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 14/2016 धारा 304(2),323 भादवि थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री जय प्रताप सिंह (एडीजीसी) व थाना अलीनगर के पैरोकार मुख्य आरक्षी राकेश कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-29.10.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रामबाबू यादव (स्पे0 जज एससी/एसटी कोर्ट चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1. गौरी उर्फ अमरजीत यादव पुत्र स्व0 सरयू यादव निवासीगण परशुरामपुर थाना अलीनगर चन्दौली को 05 वर्ष का कारावास व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

आपरेशन कन्विक्शन

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम चन्दौली) द्वारा 03 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कारावास व 5000-5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व 01 अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना जीआरपी मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 30.10.2002 को धारा 3(1)यू0पी0 गैगे0 एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.बाबू जायसवाल पुत्र लालचन्द्र निवासी मैनाताली मुगलसराय थाना मुगलसराय चन्दौली 2.युसुफ पुत्र अब्दुल कादिर निवासी शाहकुटी हनुमानपुर थाना मुगलसराय चन्दौली 3.दिनेश कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 गुलाब निवासी उपरोक्त 4.आनन्द गुप्ता पुत्र स्व0 राधेश्याम गुप्ता निवासी सेवरायी थाना गहमर जिला गाजीपुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 782/2002 धारा 3(1)यू0पी0 गैगे0 एक्ट थाना जीआरपी मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना जीआरपी मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-29.10.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.बाबू जायसवाल पुत्र लालचन्द्र निवासी मैनाताली मुगलसराय थाना मुगलसराय चन्दौली 2.युसुफ पुत्र अब्दुल कादिर निवासी शाहकुटी हनुमानपुर थाना मुगलसराय चन्दौली 3.दिनेश कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 गुलाब निवासी उपरोक्त को 03-03 वर्ष का कारावास व 5000-5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा 4.आनन्द गुप्ता पुत्र स्व0 राधेश्याम गुप्ता निवासी सेवरायी थाना गहमर जिला गाजीपुर को 02 वर्ष का कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।